मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—:—

क0 1242/815/2011/ब—1/चार भोपाल, दिनांक 18/11/2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   मध्यप्रदेश शासन
   शासन के समस्त विभाग
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी ।

विषयः— **वर्ष 2022—23 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2023—24 के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट कार्यक्रम।**

—000—

वित्तीय वर्ष 2022—23 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2023—24 के बजट अनुमान की तैयारी के संबंध में दिशा निर्देश संलग्न हैं।

अनुरोध है कि संलग्न दिशा निर्देशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस संबंध में विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारियों/वित्तीय सलाहकारों की एक बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी ।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

18.11.22

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
अपर सचिव एवं संचालक बजट
मप्र शासन, वित्त विभाग

पृ0क0।243/815/2011/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 18/11/2022

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर/इंदौर।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)–1/2, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश, बाणगंगा भवन, भोपाल।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश वित्त विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
11. निज सचिव/निज सहायक, अपर मुख्य सचिव/सचिव/संचालक बजट वित्त विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
12. समस्त उपसचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी/शोध अधिकारी/परामर्शी वित्त विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
13. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल ।
14. आयुक्त, संचालनालय संस्थागत वित्त, विंध्यांचल भवन, भोपाल।
15. संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
16. संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश, किसान भवन, भोपाल।
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश।
19. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
20. समस्त प्राचार्य,लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
21. संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
22. गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

उप सचिव
मप्र शासन, वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान की तैयारी हेतु दिशा निर्देश ।

वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान के प्रस्ताव, आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर प्रेषित किये जायें। विभाग द्वारा सर्वप्रथम प्राप्ति बजट (यदि बजट खण्ड दो में पूर्व से दर्शित हों अथवा प्राप्ति हेतु नवीन मद प्रस्तावित की जाना हो) से संबंधित अनुमानों की प्रविष्टि आई.एफ. एम.आई.एस. में अवश्य की जाये। इस वित्तीय वर्ष में कतिपय प्राप्ति शीर्षों को विभागीय प्रस्तावों के आधार पर आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में खोलने की अनुमति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है अतः यह सुनिश्चित किया जाये की वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान में उक्त प्राप्ति शीर्षों को खोलकर आवश्यक बजट प्रावधान रखा जाये तदुपरांत व्ययों हेतु बजट अनुमान प्रस्तावों के लिये निम्नांकित मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं :–

1. **वित्तीय वर्ष 2022–23 पुनरीक्षित अनुमान :–**

(i) वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान के आकलन हेतु दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2022 (07 माह) तक के व्यय के आंकडों (कोषालय के अनुसार) के आधार पर ही शेष 05 माह (31 मार्च 2023 तक) के लिये संभावित व्यय की गणना की जाये। वेतन –भत्ते के पुनरीक्षित अनुमान हेतु 31 अक्टूबर 2022 तक के व्यय के आंकड़ों को 08 माह मानकर (यदि अक्टूबर माह का वेतन उसी माह में आहरित किया गया हो), शेष 04 माह के लिये संभावित वेतन व्यय की गणना की जाये।

(ii) वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट प्रावधान अंतर्गत 31 मार्च, 2023 तक जिन मदों में बचत की संभावना हो, उसे समर्पित किया जाये (समर्पण की कार्यवाही 15 जनवरी 2023 तक **IFMIS** से की जाये) अथवा यदि बचत को किन्हीं अन्य मदों में पुनर्विनियोजित किया गया हो या किया जाना हो, तो उस मद (जिससे राशि कम की गई) में पुनरीक्षित अनुमान कम किया जाये एवं उन मदों (जिसमें राशि वृध्दि की गई) में पुनरीक्षित अनुमान बढ़ाया जाये।

(iii) विभाग की अनुदान की मांग संख्या अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान का कुल योग, वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट प्रावधान एवं प्रथम अनुपूरक प्रावधान के कुल योग से अधिक न हो।

2. वेतन :–

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय 'वेतन' मद उद्देश्य शीर्ष (11,12,16,17,18,19) अंतर्गत विस्तृत शीर्ष –001 वेतन में वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3 प्रतिशत की वृद्धि।

(ii) विस्तृत शीर्ष–003 मंहगाई भत्ता में बजट अनुमान वर्ष 2023–24 के वेतन मद (विस्तृत शीर्ष –001) में प्रस्तावित राशि का 46 प्रतिशत।

(iii) 'वेतन मद से संबंधित भत्तों' में वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान के समतुल्य।

(iv) नवीन नियुक्तियॉं एवं सेवानिवृत्ति आदि की स्थिति के कारण यदि उपर्युक्त सीमा से अधिक/कम राशि प्रस्तावित की जा रही है, तब कारण स्पष्ट किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक 663/797188/2022/GAD/RC दिनांक 10/10/2022 के संदर्भ में नवीन भर्ती अभियान में शामिल पदों पर संभावित व्यय को भी ध्यान में रखा जाये।

(v) यदि किसी विभाग के अंतर्गत किसी स्थापना में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की वर्तमान में पदस्थापना न हो परन्तु वर्ष 2023–24 में पदस्थापना की संभावना हो, तो उद्देश्य शीर्ष 16 के सुसंगत विस्तृत शीर्षों में प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित किया जाए।

(vi) विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार बजट प्रस्तावों, विशेषकर अनिवार्य व स्थापना व्यय के सटीक आकलन के लिये उत्तरदायी होंगे।

3. मजदूरी :–

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय मजदूरी मद उद्देश्य शीर्ष 12–000 में वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान से अधिकतम 5 प्रतिशत

की वृद्वि।

4. अन्य मदें :–

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये बजट अनुमान हेतु निम्नांकित व्यय मदों में वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान से 5 प्रतिशत से अधिक वृद्वि न रखी जायेः–

- **उद्देश्य शीर्ष –22 कार्यालय व्यय** के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष –009 पेट्रोल, तेल
- **उद्देश्य शीर्ष–31 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ** अंतर्गत विस्तृत शीर्ष –005 सुरक्षा व्यवस्था, 006–सफाई व्यवस्था एवं 007–परिवहन व्यवस्था ।
- इसके अतिरिक्त, अन्य व्यय मदों के लिये वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान, वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान की सीमा में ।

5. 'मतदेय' व 'भारित' :–

(i) सही वर्गीकरण का ध्यान रखा जाए।

(ii) न्यायालयीन प्रकरणों में भुगतान किये जाने हेतु उद्देश्य शीर्ष 53 डिक्री धन (भारित) मद में आवश्यक प्रावधान बी0सी0ओ0 की मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत अवश्य रखा जाये।

6. लघु शीर्ष (माईनर हेड) :–

(i) यदि लेखा शीर्ष (प्राप्ति/भुगतान दोनों प्रकरणों में) में लघु शीर्ष – 800 में बजट प्रावधान है तो उसका परीक्षण कर उपयुक्त लघु शीर्ष में बजट प्रावधान प्रस्तावित किया जाये । लघु शीर्ष 800 में प्रावधान तब ही रखा जाये जब प्रस्तावित प्राप्ति/व्यय हेतु अन्य कोई विशिष्ट लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं हो । लघु शीर्ष की सूची वेबसाइट https://cga.nic.in/Book/Published/list.aspx पर दर्शित है।

7. उद्देश्य शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष :–

(i) व्यय की प्रकृति के आधार पर बजट अनुमान में आवश्यक उद्देश्य शीर्षों व विस्तृत शीर्षो को ध्यान में रखा जाये । यदि आवश्यक हो तब पृथक से नवीन उद्देश्य शीर्ष व विस्तृत शीर्ष प्रस्तावित करें, ताकि असंबंधित उद्देश्य शीर्ष व विस्तृत शीर्ष से व्यय करने की स्थिति निर्मित न हो। उद्देश्य शीर्षों व विस्तृत

शीर्षों की सूची वित्त विभाग की वेबसाइट https://finance.mp.gov.in/old/listofobject.pdf पर उपलब्ध है ।

(ii) व्यय मद के लिए अन्य कोई विशिष्ट उद्देश्य शीर्ष उपलब्ध नहीं होने पर ही उद्देश्य शीर्ष 51–अन्य प्रभार–000 में प्रावधान प्रस्तावित किया जाये।

8. सेगमेंट कोड :–

(i) प्रस्तावित बजट अनुमान की राशि को सेगमेंट कोड (सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना) में निर्धारित अंशो (अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए न्यूनतम 23 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए न्यूनतम 16 प्रतिशत) अनुसार विभाजन की आवश्यकता को संज्ञान में रखा जाये।

(ii) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये केन्द्रांश व राज्यांश के लिये बजट अनुमान सुसंगत सेगमेंट कोड (0701, 0702, 0703, 0704, 0705 एवं 0706) में लेखा शीर्ष अंतर्गत पृथक–पृथक प्रस्तावित किये जायें। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु सेगमेंट कोड 0707 में आवश्यक बजट प्रावधान (केन्द्रांश व राज्यांश को मिलाकर) रखा जाये । सेगमेंट कोड 0707 की बजट लाईन से वेतन भत्तों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति SNA खाते से प्राप्त किये जाने हेतु उद्देश्य शीर्ष 74– पुनर्प्राप्तियों में प्रस्तावित बजट अनुमान के बराबर ऋणात्मक बजट प्रावधान रखा जाये।

(iii) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित अनुपात में केन्द्रांश व राज्यांश का प्रावधान किया जाता है । कतिपय योजनाओं में राज्यांश के अतिरिक्त राशि राज्य शासन द्वारा टॉप–अप के रूप में वहन की जाती है । ऐसी योजनाओं की सूची पृथक से उपलब्ध करायें।

9. अंतरिम सीमा :–

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान तैयार करने हेतु विभागों के लिए अंतरिम बजट सीमा, **परिशिष्ट 1** अनुसार है, जो कि पृथक से विभाग प्रमुख को उपलब्ध करायी जा रही है। प्रशासकीय विभाग निर्धारित अंतरिम सीमा में ही बजट अनुमान तैयार करें । यह सीमा प्रारंभिक रूप से दी जा रही है परंतु बजट

को अंतिम रूप दिये जाने के समय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बजट अनुमान इस सीमा से कम/अधिक हो सकता है।

(ii) प्रतिबद्ध देयताएं जैसे वेतन भत्ते, ऋण भुगतान, एन्यूटी भुगतान एवं 15 वें वित्त आयोग के लिए बजट अनुमान को प्राथमिकता में रखा जाये।

(iii) उपर्युक्त (ii) के उपरांत केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्र योजनाओं हेतु बजट अनुमान प्रस्तावित किये जाये।

(iv) उपर्युक्त (ii) व (iii) के उपरांत राज्य योजनाओं के लिए बजट अनुमान प्रस्तावित किये जायें, जिसमें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार तथा विभाग की योजनाओं को प्राथमिकता क्रम में निर्धारित किया जाये।

(v) जिन योजनाओं की निरन्तरता प्राप्त नहीं है अथवा जिन योजनाओं को विभाग द्वारा आगामी वर्ष में संचालित नहीं किया जाना हो उनका व्यय अंतरिम सीमा से घटाकर बजट अनुमान तैयार किया जाए। वित्त विभाग द्वारा राज्य के स्वयं के संसाधन तथा केन्द्र/ अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों का आकलन कर 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं एवं केन्द्रीय बजट 2023–24 को दृष्टिगत रखते हुए तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अंतिम बजट सीमा तय की जायेगी, जिसके अनुरूप मंत्रि परिषद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

10. **राजस्व एवं पूंजीगत :–**

(i) योजनाओं के स्वरूप अनुसार राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत विस्तृत शीर्षों के उपयुक्त वर्गीकरण को ध्यान में रखा जाये । **(कृपया परिशिष्ट–2 देखें)**

(ii) यदि पूर्व वित्तीय वर्ष में किसी योजना अंतर्गत लेखाशीर्ष वर्गीकरण में संशोधन कराया गया हो / कराया जाना हो तो वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान में भी उक्त अनुसार संशोधन प्रस्तावित करें ।

11. **राजस्व में छूट व प्रोत्साहन का प्रभाव :–**

वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में यदि किसी नियम/ अधिनियम/ नीति के अंतर्गत, कर(टैक्स) अथवा करेत्तर(नॉन टैक्स) प्रोत्साहन दिये गये हों, जिससे राज्य शासन के प्राप्ति योग्य राजस्व पर प्रभाव पड़ा हो/पड़ना संभावित हो, तो

ऐसे राजस्व प्रभाव के अनुमान को वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट साहित्य के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। अतः संलग्न प्रपत्र **परिशिष्ट–3** में जानकारी उपलब्ध कराये। यह जानकारी मुख्यतः वाणिज्यिक कर, ऊर्जा , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना प्रोद्यौगिकी, राजस्व, लोक सेवा प्रबंधन, आदि विभागों से अपेक्षित है। यदि किसी विभाग में इस प्रकार का राजस्व प्रभाव नहीं रहा है तब वे निरंक जानकारी भेजें ।

12. **योजना की निरंतरता :–**

(i) जिन योजनाओं की निरंतरता की आवश्यकता नहीं रह गयी हो उनमें बजट अनुमान प्रस्तावित नहीं किये जायें एवं समान उद्देश्य की योजनाओं को संविलयित कर बजट अनुमान तैयार करें। वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में सम्मिलित समस्त योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये बजट अनुमान में प्रदर्शित किया जाये। इस हेतु जिन योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये प्रावधान की आवश्यकता नहीं हो, जो योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं, उनमें भी शून्य प्रावधान अंकित करें।

(ii) जिन योजनाओं में निरंतरता प्राप्त नहीं हो, परंतु आगामी वर्षों में निरंतरता की आवश्यकता हो एवं बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया हो, ऐसी योजनाओं की सूची पृथक से उप सचिव स्तर पर चर्चा के दौरान प्रस्तुत की जाये। साथ ही ऐसी योजनाओं की सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।

13. **नवीन योजनाएं :–**

(i) नवीन योजनाएं वित्त विभाग स्तर पर खोली जायेंगी। प्रशासकीय विभाग सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत, बजट चर्चा के पूर्व, प्रस्ताव संक्षेपिका सहित वित्त विभाग को प्रेषित करें।

(ii) ऐसी नवीन योजनाऐं जिनका वित्तीय भार राज्य शासन पर आना हो, के औचित्य को स्पष्ट करते हुए आवश्यकता अनुसार बजट में अपरीक्षित मद के रूप में प्रस्तावित करें।

(iii) भारत सरकार के बजट प्रस्ताव में सम्मिलित नवीन योजनाओं के संबंध में भारत सरकार बजट में स्पष्ट प्रावधान होने पर ही नवीन योजना प्रस्तावित की जाये। यदि वित्तीय वर्ष में योजना प्रारम्भ किये जाने की संभावना हो तब प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित करें।

14. **समान उद्देश्य की योजनाएं :–**

भारत सरकार और राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं जिनका एक ही कार्य के लिए संचालन हो रहा है, तब राज्य शासन की ऐसी योजनाओं को केन्द्र की योजनाओं में संविलियन करने हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तुत किया जाये।

15. **योजना की जानकारी :–**

बजट प्रस्तावों में सम्मिलित योजनाओं पर टीप पृथक से निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट–4** में उप सचिव स्तर पर बजट चर्चा की निर्धारित तिथि के 3 दिवस पूर्व वित्त विभाग की संबंधित बजट शाखा को उपलब्ध करायें।

16. **भारत सरकार से सीधे प्राप्त राशि से व्यय :–**

जिन विभागों को भारत सरकार से सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त होती है, वे विभाग पी.एफ.एम.एस. या अन्य माध्यम से व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बजट प्रावधान में सीधे प्राप्त होने वाली राशि शामिल है। उक्त राशि के समायोजन हेतु वित्त विभाग से सहमति उपरांत आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में कोषालय के माध्यम से देयक प्रस्तुत कर आवश्यक बुक एन्ट्री संबंधित प्राप्ति शीर्ष 1601 में की जाये।

17. **ऑफ बजट ऋण की जानकारी :–**

विभाग के अंतर्गत कंपनी/निगम/मंडल/प्राधिकरण/सहकारी संस्थाएं/अन्य संस्थाओं द्वारा ऑफ बजट के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों जैसे ऋण आदि की संभावित उपलब्धता की जानकारी संलग्न **परिशिष्ट–6** में उपलब्ध कराये।

18. **वर्गीकरण :–**

विभाग द्वारा बजट प्रस्तावित करते समय भारत सरकार के महालेखा–नियंत्रक द्वारा निर्धारित संघ व राज्यों की मुख्य शीर्ष व उप मुख्य शीर्ष की सूची अनुसार

ही प्रविष्टि की जाये। यदि कोई मुख्य शीर्ष , उपमुख्य शीर्ष अथवा लघु शीर्ष पूर्व के वित्तीय वर्षों में सूची अनुसार नहीं था, तो अद्यतन कर लिया जाये। उक्त सूची बेवसाईट https://cga.nic.in/Book/Published/list.aspx पर दर्शित है।

19. **सहायक अनुदान :–**

(i) विभाग द्वारा सहायक अनुदान के बजट शीर्ष में अनुमान प्रस्तावित करते समय अनुदान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य शीर्ष 42–सहायक अनुदान के अंतर्गत सुसंगत विस्तृत शीर्ष में ही बजट अनुमान प्रस्तावित किये जायें। सुसंगत विस्तृत शीर्ष उपलब्ध न होने की स्थिति में विस्तृत शीर्ष 007 (अन्य–शर्त रहित अनुदान) अथवा विस्तृत शीर्ष 011 (अन्य– सशर्त अनुदान) का उपयोग किया जाये तथा आई.एफ.एम.आई.एस. में प्रस्तावित करते समय रिमार्क में कारण संबंधी टीप अवश्य अंकित की जाये।

(ii) **संस्था/निकाय को दिया जाने वाला अनुदान आवर्ती अथवा अनावर्ती है एवं किन प्रयोजनों पर व्यय किया जाना है, स्पष्ट किया जाये।**

20. **बजट साहित्य के लिये अन्य आवश्यक जानकारी :–**

(i) विभाग में संचालित जिन योजनाओं में अनुसूचित जनजाति उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना तथा सामान्य उपयोजना का विभक्तिकरण आवश्यक हो, की जानकारी **परिशिष्ट–7** में उपलब्ध करावें।

(ii) विभाग में संचालित समस्त योजनाओं में से जेण्डर बजट, चाइल्ड बजट तथा कृषि बजट से संबंधित योजनाओं की जानकारी **परिशिष्ट—8** में उपलब्ध करावें।

21. **बजट कार्यक्रम :–**

(i) वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान का अनंतिम बजट कार्यक्रम **परिशिष्ट–9** संलग्न है।

(ii) निर्धारित समय सीमा के बाद आई.एफ.एम.आई.एस में बजट अनुमानों की प्रविष्टि अनुमत्य नहीं होगी। कृपया समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।

राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षो के अंतर्गत उद्देश्य शीर्षो के सही वर्गीकरण किये जाने के संबंध में निर्देश

विभाग द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों का सटीक आकलन कर वर्गीकरण किया जाये इस हेतु निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये :–

(क) उद्देश्य शीर्ष 63 (मशीनें) एवं 64 (वृहद निर्माण कार्य) पूंजीगत व्यय के स्वरूप के होने से राजस्व शीर्षो के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जायें।

(ख) उद्देश्य शीर्ष 32 (लघु निर्माण कार्य), 42 (सहायक अनुदान), 45 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) एवं 51 (अन्य प्रभार) राजस्व व्यय के स्वरूप के होने से पूंजीगत शीर्षो के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जायें।

(ग) मूल रूप से योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के राजस्व एवं पूंजीगत स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये योजनाओं का वर्गीकरण किया जायें । पूंजीगत शीर्ष में ऐसी योजनाओं को रखा जाये, जिसमें स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियां निर्मित होती हो ।

परिशिष्ट –3

प्रोत्साहन (छूट) दिये जाने के फलस्वरूप राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का पत्रक

विभाग का नाम : .....

विभागाध्यक्ष एवं बी0सी0ओ0 कोड़ : .....

(क) नीतिगत अथवा किसी अधिनियम के अनुसार

स0 कं0	विवरण	2021–22 राजस्व पर प्रभाव (वास्तविक)	2022–23 राजस्व पर प्रभाव (अनुमानित)
1			
2			

(ख) मंत्रिपरिषद आदेश के तहत

स0 कं0	विवरण	2021–22 राजस्व पर प्रभाव (वास्तविक)	2022–23 राजस्व पर प्रभाव (अनुमानित)
1			
2			

(ग) विभागीय आदेश के द्वारा

स0 कं0	विवरण	2021–22 राजस्व पर प्रभाव (वास्तविक)	2022–23 राजस्व पर प्रभाव (अनुमानित)
1			
2			

(घ) अन्य

स0 कं0	विवरण	2021–22 राजस्व पर प्रभाव (वास्तविक)	2022–23 राजस्व पर प्रभाव (अनुमानित)
1			
2			

परिशिष्ट – 4

बजट अनुमान 2023–24 में प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी
(वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय आदि की योजनाओं को छोड़कर)

(क) विभाग ..... (ख) बजट नियंत्रण अधिकारी.....

(1) योजना का नाम व कमांक :

(2) योजना का स्वरूप : राज्य पोषित/केंद्र प्रवर्तित/केंद्र क्षेत्रीय

(3) योजना में हिस्सेदारी : केन्द्रांश : राज्यांश : अन्य
(प्रतिशत में)

(4) मंत्रिपरिषद से निरंतरता : यदि प्राप्त हो तो (आदेश संलग्न करें)

यदि प्राप्त नहीं हो तो (औचित्ययुक्त टीप संलग्न करें)

(5) योजना का उद्देश्य, पृष्ठभूमि, मापदण्ड आदि की जानकारी दें।

(6) लक्ष्य – उपलब्धि की जानकारी दें।

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		टिप्पणी
	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	
2020-21					
2021-22					
2022-23					

(7) यदि योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हों तो Shelf of projects/sanctions (कुल स्वीकृत परियोजनाएं/स्वीकृतियों) की जानकारी दें। समस्त परियोजनाओं (जिनके वित्तीय दायित्व दिनांक 31.10.2022 को शेष है) की जानकारी निम्न पत्रक में उपलब्ध कराएं।

स.क्र.	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	दिनांक 31.03.2023 तक संभावित व्यय	दिनांक 31.03.2023 तक संभावित शेष(4-5)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

(8) योजनांतर्गत कुल लंबित दायित्वों (संभावित) की जानकारी दें। (31.03.2023 की स्थिति में)

(9) अन्य टिप्पणी

परिशिष्ट–5

बजट 2023–24 हेतु उपसचिव स्तर पर बजट चर्चा हेतु पत्रक

विभाग का नाम..... बीसीओ का नाम .....

1. राजस्व प्राप्ति

योजना का नाम	2021–22 राजस्व प्राप्ति	2022–23 की संभावित प्राप्ति	राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित दरें	दरें किस अधिनियम/नियम से निर्धारित की गयी	दरें अंतिम बार किस वर्ष में बढाई गयी	राजस्व बढाने हेतु सुझाव
1	2	3	4	5	6	7

2. वेतन की गणना

अ. वेतन की गणना

योजना कमांक व नाम	कर्मचारियों की संख्या	व्यय 2020–21	व्यय 2021–22	बजट प्रावधान 2022–23	अद्यतन व्यय 2022–23	प्रस्तावित प्रावधान 2023–24	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

ब. वर्तमान कर्मचारियों का वर्गीकरण

कर्मचारियों का वर्गीकरण	कर्मचारियों की संख्या	व्यय	रिमार्क
1	2	3	4
नियमित			
संविदा			
अनुदान से वेतन / मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी			
आउटसोर्स			
परामर्शी			
अन्य			

स. संभावित नवीन भर्ती की जानकारी (वर्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष में)

कर्मचारियों का वर्गीकरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		रिमार्क
	कर्मचारियों की संख्या	संभावित व्यय	कर्मचारियों की संख्या	संभावित व्यय	
1	2	3	4	5	6
नियमित					
संविदा					
अनुदान से वेतन / मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी					
आउटसोर्स					
परामर्शी					
अन्य					

3. अन्य समस्त योजनाएं (प्रशासनिक योजनाओं यथाः– वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय आदि को छोड़कर)

योजना कमांक व नाम	योजना का उददेश्य	पात्रता की भार्ते	हितग्राही संख्या	राज्य/केन्द्र का अनुपात	योजना में निहित प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में)	व्यय 2020–21	व्यय 2021–22	बजट प्रावधान 2022–23	अद्यतन व्यय 2022–23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. योजना को किस प्रकार युक्तियुक्त किया जा सकता है ? किस प्रकार व्यय कम किया जा सकता है ?

5. निगम/मंडल इत्यादि की राशियों की स्थिति ?

6. केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की अव्ययित राशियां

योजना का नाम	अव्ययित राशि	राशि प्राप्ति का वर्ष
1	2	3

7. (i) एसएनए बैंक खातों की राशियां

बैंक का नाम	खाता प्रकार	राशि	वित्त विभाग से स्वीकृति का दिनांक	नवीनीकरण
1	2	3	4	5

(ii) एसएनए बैंक खातों के अतिरिक्त अन्य बैंक खातों की राशियां

बैंक का नाम	खाता प्रकार	राशि	वित्त विभाग से स्वीकृति का दिनांक	नवीनीकरण
1	2	3	4	5

8. देनदारियां दिनांक 31/10/2022 की स्थिति में

योजना कमांक व नाम	कुल लंबित देनदारियां	लंबित देनदारियां में राज्य का हिस्सा
1	2	3

देनदारियों से आशय ऐसी राशि से है जिसे विधिवत योजना में व्यय किया गया हो, देयक प्राप्त हो गए हों, परंतु भुगतान न हो सका हो।

9. व्यक्तिगत खातों की जानकारी (विभाग द्वारा संधारित पी.डी. खाते)

पी.डी खाता का कमांक	खाता का नाम	कोषालय का नाम (जहां संधारित है)	उद्देश्य	राशि	वित्त विभाग से स्वीकृति का दिनांक	नवीनीकरण का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

4

परिशिष्ट–6

वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान ऑफ बजट संसाधन के माध्यम से संभावित अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी

क्र.	ऑफ बजट संसाधन प्राप्त करने वाले विभाग के कंपनी/कॉर्पोरेशन/ बोर्ड/एस.पी.व्ही. का नाम	ऑफ बजट संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम व पता	वित्तीय वर्ष 2022–23 के 31 दिसंबर 2022 तक ऑफ बजट के माध्यम से प्राप्त राशि (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2022–23 के 31 दिसंबर 2022 तक पुनर्भुगतान की गई राशि (करोड़ में)		वित्तीय वर्ष 2022–23 के 31 दिसंबर 2022 को शेष (करोड़ में)		वित्तीय वर्ष 2022–23 की शेष अवधि हेतु ऑफ बजट से प्राप्त होने वाली संभावित राशि (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ऑफ बजट से प्राप्त होने वाली राशि (करोड़ में)
				मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टीप :-

ऑफ बजट से आशय ऐसे ऋणों से है, जो राज्य शासन के लेखों में प्रदर्शित नहीं होते हैं। निम्न बिन्दुओं पर भी जानकारी उपलब्ध करायें-

1 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, एसपीवी, बोर्ड या अन्य संस्थान द्वारा ऑफ बजट संसाधन जैसे राज्य सरकार की गारंटी पर ली गयी उधारी, जिसका मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाना है।

2 राज्य सरकार के डिपॉजिट वर्क का कार्यान्वयन, जिसका राज्य सरकार द्वारा उधार के माध्यम से वित्तपोषण किया जाना था परंतु राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगम, एसपीवी, बोर्ड या अन्य संस्थान की निधियों से कराया गया।

3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, एसपीवी, बोर्ड या अन्य संस्थान के लिये, राज्य सरकार की गारंटी पर लिए गए ऋण के मूलधन/ब्याज घटक की आदि की प्रतिपूर्ति न की गई हो।

परिशिष्ट–7

विभाग में संचालित जिन योजनायें जिनमें अनुसूचित जनजाति उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना तथा सामान्य उपयोजना के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाना हो (#)

कमांक	योजना कमांक	योजना का नाम
1	2	3

सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान की योजनाओं अंतर्गत प्रावधानित कुल बजट राशि में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने हेतु पृथक प्रावधान उपयोजना के रूप में मांग संख्याओं की पुस्तिकाओं में दर्शाये जाते हैं। विभागवार इन प्रावधानों को दर्शित करने हेतु एक पृथक खण्ड, खण्ड–9 वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विभागवार, योजनावार, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को समेकित किया जाता है। इस नवीन व्यवस्था से इन वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि की मानिटरिंग की जा सकती है।

परिशिष्ट–8

विभाग में संचालित जेण्डर बजट (@) चाइल्ड बजट (@@) तथा कृषि बजट (@@@) से संबंधित योजनाओं की जानकारी

क्रमांक	योजना क्रमांक	योजना का नाम	जेण्डर बजट, चाइल्ड बजट तथा कृषि बजट से संबंधित योजना के लिए यथास्थान टिक करें एवं जेण्डर बजट/चाइल्ड बजट की स्थिति में श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 में टिक करें।				
			जेण्डर बजट		चाइल्ड बजट		कृषि बजट
			श्रेणी–1 (जिन योजनाओं में 100 प्रतिशत बजट महिलाओं/बालिकाओं के लिए प्रस्तावित है)	श्रेणी–2 (जिन योजनाओं में कम से कम 30 प्रतिशत बजट महिलाओं/बालिकाओं के लिए प्रस्तावित है)	श्रेणी–1 (जिन योजनाओं में 100 प्रतिशत बजट बच्चों के लिए प्रस्तावित है)	श्रेणी–2 (जिन योजनाओं में कम से कम 30 प्रतिशत बजट बच्चों के लिए प्रस्तावित है)	
1	2	3	4	5	6	7	8

@ मध्य प्रदेश शासन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबध्द है और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा,स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आर्थिक उन्नति के लिये अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। शासकीय कार्यक्रमों के संचालन में इस प्रतिबध्दता को सुस्पष्ट करने के लिये जेण्डर बजट एक सक्षम माध्यम है। जेण्डर बजट के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के लिये वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबध्दता में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष बजट साहित्य के खण्ड–6 में जेण्डर बजट, प्रस्तुत किया जाता है।

@@ मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबध्द है। इसी को ध्यान में रखते हुये प्रथम बार, वित्तीय वर्ष 2022–23 से बजट साहित्य के खण्ड–10 में चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया हैं। चाइल्ड बजट में शामिल योजनाओं में श्रेणी 1 व श्रेणी 2 अंतर्गत क्रमशः लगभग शत प्रतिशत व कम से कम 30 प्रतिशत प्रावधान बच्चों के लिये होना आवश्यक है।

@@@ प्रदेश के कृषकों को उनके हितों से जुड़ी योजनायें तथा उनमें प्रावधानित राशि की जानकारी सुगमता से मिल सकें, इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष बजट साहित्य के खण्ड–8 में कृषि बजट प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2022–2023 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2023–2024 के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट कार्यक्रम

1	05 दिसंबर, 2022	वर्ष 2022–2023 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2023–2024 के बजट प्रस्ताव **आई.एफ.एम.आई.एस.** में भरा जाकर वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
2	05 दिसंबर, 2022	वर्ष 2023–2024 में नवीन योजना के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
3	08 दिसंबर, 2022 से 23 दिसंबर, 2022 तक	प्राप्तियों तथा व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा । (विभागवार कैलेण्डर पृथक से जारी किया जायेगा)
4	26 दिसंबर, 2022 तक	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी विभागों से प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
5	03 जनवरी, 2023 से 17 जनवरी, 2023 तक	प्राप्तियों तथा व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) के साथ चर्चा । (विभागवार कलेण्डर पृथक से जारी किया जायेगा)
6	05 जनवरी, 2023 तक	राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021–22 में की गई भूमि आवंटन (रियायती) तथा दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्ति।
7	18 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक	आवश्यकतानुसार माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अन्य विभागों के माननीय मंत्रीगणों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा
8	18 जनवरी, 2023	माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि।
9	31 मार्च, 2023	प्रशासकीय विभागों द्वारा 31.03.2023 तक वर्ष 2022–23 हेतु पुनर्विनियोजन/समायोजन के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि

विशेष सूचनाः–

1. उक्त बजट प्रस्ताव वित्त विभाग के आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में प्राप्त किये जायेंगे ।
2. विभाग द्वारा आई.एफ.एम.आई.एस. में वर्ष 2023–2024 के बजट प्रस्ताव में कोई अपरीक्षित व्यय की नवीन योजना को सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न ही पुनर्विनियोजन प्रस्ताव कार्यक्रम में अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा। विभागों से अनुरोध है कि समय सारणी का कड़ाई से पालन करें।
3. उप सचिव/सचिव स्तर की बजट चर्चा के दौरान प्रशासकीय विभाग के अंतर्गत आने वाले निकाय/मंडल/संस्था/परिषद के संबंध में भी पृथक से चर्चा की जायेगी।
4. उपसचिव स्तर की बजट चर्चा में **परिशिष्ट 5** की जानकारी उपलब्ध कराई जाये।